

श्रीमानजी निवेदन है कि वर्तमान में विहारी में जेजीगंशन जमाबंदी आधार वर्ष से निरंतर जारी है नवीन सॉफ्टवेयर में नावालिग नाम से पूर्व दर्ज करना होगा है जबकि उक्त जमाबंदी वनते समय यह नावालिग नाम के बाद में दर्ज हुआ जो गलत है अतः नावालिग नाम के सम्मुख अंकित कर इन्द्राज दुरुस्त करना उचित होगा।

पटवारी रिपोर्ट  
16/9/25

श्रीमानजी, मु. अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट  
शुनाबिक रिपोर्ट शवाही दुल्हनी 16/9/25 उचित है  
20/9/25

वर्तमान रिकार्ड में नावा. का अंकन नाम के पीछे दर्ज होने से नामा. दर्ज नहीं किया जा सकता है अतः नावा. का अंकन नाम से पूर्व होने पर ही प्राथमिकी थालिग का नामा. दर्ज किया जा सकता है अतः प्रकरण दुरुस्ती हेतु प्रस्तावित है।

तहसीलदार की रिपोर्ट  
20/9/25  
रिपोर्ट प्रभासी

2025  
417

क्रमांक/ 113 प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

आदेश

दिनांक:- 19-9-25

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम विहारी तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2069-72 के खाता संख्या 526, 527, 528 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	बलराम नावा. पुत्री रतनलाल शेष बंदखुर्द	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार		नावालिग बलराम पुत्री रतनलाल शेष बंदखुर्द	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार	

क्रमांक :- 4856-57 दिनांक :- 19-9-2025

उत्तिलिपि :- 1. तहसीलदार नसीराबाद को  
2. अपेक्ष पत्रावली जालनादी।  
प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर

